प्रारुप–3

(2021-22)

भाग–2 (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाऐगा)

परियोजना का विवरणः– जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 कि0मी0)

7.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति –	
(i)	राज्य / संघराज्य क्षेत्र–	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	जिला वन प्रभाग–	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
(iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल–	1.050 – है0
8.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वनभूमि की	आरक्षित वन भूमि – 1.050 है0 सिविल सोयम वन भूमि – 0.280 है0 नाप भूमि – 0.070 है0
	विधिक प्रस्थिति–	
9.	अपवर्जन के लिऐ प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा –	
(i)	वन का प्रकार–	Open Forest
(ii)	वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व–	03 से 04
(iii)	प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराये जाने के लिये आपेक्षित वृक्षों की परिगणना–	सलंग्न हैं
(iv)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वनभूमि के लिये कार्यकरण योजना का नक्शा	सलंग्न हैं
10.	भूक्षरण के लिये पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वनभूमि स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की सम्भावना नही हैं।
11.	वनभूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की लगभग दूरी–	प्रारम्भ से वनभूमि
12.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की महत्ता–	कोई नही
13.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की महत्ता–	कोई नही
(i)	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नहीं
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी, कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि है तो क्षेत्र. के ब्योरे और उपावद्ध किये जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)	नहीं
(iii)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी, कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से 10.00 कि0मी0 के भीतर उवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपावद्ध की जाये)	नहीं
(iv)	क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी, कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से 1.00 कि0मी0 के भीतर उवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपावद्ध की जाये)	नहीं
(v)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव–जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म की खतरे की प्रजातियॉ हैं यदि है तो उसके ब्यौरे–	नहीं
14.	क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन	

या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि है तो उपावद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

15. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें **प्रस्तावित भूमि निर्माण हेतु न्यूनतम हैं**

(i) क्या भाग–1 के पैरा–6 और पैरा–7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वनभूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिये अति न्यूनतम है। हां

(ii) यदि नही तो वनभूमि के सिफारिशे किये गये क्षेत्र जिसके पुर्वेक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। –

16. **किये गये अतिकमण के ब्यौरे –**

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन माार्गदर्षक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ/नही) नहीं

(ii) यदि हॉ की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतवलित वनभूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही– –

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉ/नहीं) नहीं

17. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे –**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिये पहचान की गई वनभूमि की विधिक प्रस्थिति– सलंग्न हैं ( )

(ii) अवस्थिति सर्वेक्षण या कम्पार्टमेन्ट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें –

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षति के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50.000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न है। सलंग्न हैं

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं। (हॉ/नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय– Rs- 5.55 lacs

vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृटिकोणो से पहचान कर किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सम्बन्ध उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हॉ/नहीं) सलंग्न हैं

18. वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हॉ/नहीं)

19. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें– मार्ग निर्माण जनहित में किया जाना आवश्यक हैं। प्रस्तावित संरेखण में न्यूनतम वन भूमि आ रही हैं।

स्थान मुनिकीरेती हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

दिनांक 17-11-2015

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती